



विश्व मामलों की भारतीय परिषद्

वर्ष 2019-2020
के वार्षिक लेखे

विषय-सूची

विश्व मामलों की भारतीय परिषद् 31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के प्राप्ति एवं भुगतान लेखे	1
31.03.2020 को बैलेंस शीट की स्थिति	3
31.03.2020 को समाप्त हुए वर्ष के आय-व्यय लेखे	4
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	15

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तियां	चालू वर्ष		पिछला वर्ष		भुगतान	(राशि रुपए में)	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	चालू वर्ष	पिछला वर्ष		चालू वर्ष	पिछला वर्ष
I. प्रारंभिक शेष					I. व्यय		
(क) नकद रोकड़	-	-	-	-	(क) संस्थापना व्यय		
(ख) बैंक में जमा राशि					वेतन, पी एफ आदि	1,81,48,729	1,58,92,459
i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	2,23,12,330	2,52,50,162	2,52,50,162	2,52,50,162	बोनस	1,44,492	1,49,673
ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	1,05,00,000	92,20,586	92,20,586	92,20,586	उपदान व्यय	14,15,561	10,68,087
iii) भारतीय स्टेट बैंक में बचत खाता	-	11,02,708	11,02,708	11,02,708	पेंशन फंड में परिषद का अंशदान	2,70,000	2,71,250
(ग) अन्य					स्टाफ कल्याण व्यय	96,032	55,000
अग्रदाय खाता	5,000	5,000	5,000	5,000	प्रशासनिक निरीक्षण प्रभार - आरपीएफसी	87,707	61,272
प्रेषक के पास ड्रा टिकट	8,926	12,738	12,738	12,738	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	11,36,366	9,46,493
					कर्मचारियों का सामूहिक बीमा	-	1,13,693
					एल टी सी व्यय	2,26,183	1,20,834
					छूटटी नकदीकरण (एल टी सी)	48,366	2,00,818
II. अनुदान					विज्ञापन व्यय		
एमईए से अनुदान - सामान्य	12,90,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	10,00,00,000	लेखापरीक्षा शुल्क	2,25,221	67,522
एमईए से अनुदान - वेतन	2,10,00,000	1,87,00,000	1,87,00,000	1,87,00,000	अन्य व्यय	1,51,940	1,17,650
एमईए से अनुदान - परियोजना	6,25,260	15,73,096	15,73,096	15,73,096	प्रकाशन की लागत	2,31,159	4,17,424
III. आय					सीएससीएपी सामान्य व्यय	21,25,034	20,86,788
पुस्तकालय सदस्यता	73,100	96,900	96,900	96,900	विद्युत एवं जल प्रभार	59,45,672	60,03,513
विविध आय	7,49,141	1,28,141	1,28,141	1,28,141	कार्यालय बीमा व्यय	84,020	89,786
रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय	4,56,674	5,57,537	5,57,537	5,57,537	बैठक एवं सेमिनार व्यय	2,75,57,278	1,87,67,416
बचत खाते से अर्जित आय	-	9,848	9,848	9,848	एनडीएमसी गृह कर	30,48,836	30,48,819
स्थायी जमा से आय	5,79,376	11,04,679	11,04,679	11,04,679	कार्यालय व्यय	18,51,194	7,46,982
					टिकट एवं टेलीग्राम	38,384	46,812
IV. अन्य प्राप्तियां					व्यावसायिक प्रभार	3,67,02,399	2,78,71,816
प्रतिभूत जमा- पुस्तकालय	67,200	28,000	28,000	28,000	प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी व्यय	7,76,281	12,38,652
कर्मचारियों से त्यौहार अग्रिम की वसूली	-	1,75,994	1,75,994	1,75,994	मरम्मत एवं रख-रखाव	53,14,622	38,09,254
अन्य अग्रिम	1,97,255	2,57,621	2,57,621	2,57,621	सुरक्षा व्यय	26,48,403	23,50,358
रद्द चेक	-	77,603	77,603	77,603	टेलीफोन एवं इंटरनेट व्यय	6,67,993	9,07,206
					यात्रा एवं वाहन	70,01,038	23,10,107
					समाचार पत्र, पुस्तक एवं पत्र पत्रिका	3,28,426	3,81,207
					ग्राहक शुल्क एवं सदस्यता व्यय	3,83,954	5,75,581
					वेबसाइट व्यय	5,35,446	4,55,626
					एनआईसीएसआई- वेबसाइट के लिए अग्रिम	2,37,065	10,73,735
कुल अग्रनीत	18,55,74,262	15,83,00,613	15,83,00,613	15,83,00,613	कुल अग्रनीत	11,74,27,801	9,12,45,833

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक की अवधि के लिए प्राप्तियां एवं भुगतान

प्राप्तिया	चालू वर्ष	पिछला वर्ष	भुगतान	(राशि रुपए में)	
				चालू वर्ष	पिछला वर्ष
कुल अग्रणीत	18,55,74,262	15,83,00,613	कुल अग्रणीत	11,74,27,801	9,12,45,833
			II. अचल परिसंपत्तियों के लिए भुगतान		
			कंप्यूटर / उपसाधन	4,69,065	7,58,710
			फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	8,97,233	2,17,246
			पुस्तकालय की किताबें एवं पत्र-पत्रिकाएं	7,95,814	44,55,252
			पुस्तकालय की आई टी अवसंरचना	2,30,100	11,19,230
			कार्यालय उपस्कर	4,85,952	98,75,349
			पुस्तकालय के जीर्णोद्धार के संबंध में पूंजी कार्य प्रगति	2,69,494	-
			III. प्रतिभूति निक्षेप/ऋणों का प्रतिदाय		
			प्रतिभूति जमा वापसी-पुस्तकालय	11,200	2,800
			कॉरपोरेट इनफोटेक (ईएमडी मनी)	-	10,000
			यूवी प्रौद्योगिकियां (ईएमडी मनी)	-	10,000
			IV. अन्य भुगतान (विनिर्दिष्ट करें)		
			के.लो.नि.वि. को भुगतान	2,14,96,084	1,24,33,396
			परियोजनाओं का उपयोग	6,46,259	2,36,669
			अप्रयुक्त परियोजना अनुदान की अदायगी	27,95,649	42,53,615
			अनुसंधान/संमिनार हेतु अनुदान	57,16,622	8,56,257
			अन्य अग्रिम	3,000	
			रद्द चेकों के विरुद्ध भुगतान		
			(क) नकद रोकड़		
			(ख) बैंक में जमा राशि		
			i) भारतीय स्टेट बैंक में चालू खाता	3,43,24,989	2,23,12,330
			ii) भारतीय स्टेट बैंक में जमा खाता	-	1,05,00,000
			(ग) अन्य		
			अग्रदाय खाता	5,000	5,000
			प्रेषक के पास डाक टिकटें	-	8,926
कुल	18,55,74,262	15,83,00,613	कुल	18,55,74,262	15,83,00,613

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2020

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2020 का तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संग्रह/पूंजी निधि एवं देनदारियां			
संग्रह/पूंजी निधि	1	2,49,09,285	2,36,40,520
निर्धारित/अक्षय निधि	2	-	20,999
आस्थगित आय	3	16,83,87,566	15,55,42,281
वर्तमान देनदारियां एवं प्रावधान	4	3,66,36,428	4,93,30,589
कुल		22,99,33,279	22,85,34,389
परिसंपत्तियां			
अचल परिसंपत्तियां	5	16,91,93,378	15,63,91,545
चालू परिसंपत्तियां, ऋण, अग्रिम आदि	6	6,07,39,901	7,21,42,844
कुल		22,99,33,279	22,85,34,389
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2020

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता /-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता /-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखे

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
केन्द्रीय सरकार से अनुदान (अनुसूची 4, 4 बी देखिए)		12,96,49,170	10,71,25,699
सदस्यता फास	7	1,06,402	83,406
रायल्टी, प्रकाशना आद स आय	8	4,56,674	5,57,537
अर्जित ब्याज	9	-	12,06,035
अन्य आय	10	1,60,09,316	1,57,10,130
कुल (क)		14,62,21,562	12,46,82,807
व्यय			
स्थापना व्यय	11	2,00,79,951	1,87,70,880
अन्य प्रशासनिक व्यय	12	10,46,48,536	8,32,00,568
अनुसंधान/सेमिनार हेतु अनुदान पर व्यय		27,95,649	31,20,463
प्रकाशनों की लागत		21,25,034	20,33,788
मूल्य हास (देखिए अनुसूची 5)		1,53,03,627	1,56,27,894
कुल (ख)		14,49,52,797	12,27,53,593
शेष आधिक होने के कारण/(कमी) (क-ख)		12,68,765	19,29,214
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	13		
आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पणी	14		

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17/06/2020

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता /-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता/-
उप महानदेशक

हस्ता /-
महानदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2020 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 1- संग्रह/पूजी निधि	चाल वर्ष		पिछला वर्ष	
	वर्ष के प्रारंभ में अतिशेष जोड़े : संग्रह/पूजी निधि में अंशदान जोड़े : आय और व्यय लेखे से अंतरित शुद्ध/व्यय का अतिशेष	-	2,36,40,520	-
	12,68,765		19,29,214	
		12,68,765		19,29,214
वर्ष के अंत में अतिशेष		2,49,09,285		2,36,40,520

अनुसूची 2- निर्धारित/अक्षय निधियां	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
	क) निधियों का प्रारंभिक अतिशेष	20,999
ख) निधियों में परिवर्धनः दान/चंदा/वापसी/स्थानांतरण	6,25,260	15,75,096
ग) निधियों के उद्देश्यों के प्रति उपभोग/व्यय	-	-
i. पूजी व्यय		
- अचल परिसंपत्तियां	-	-
- अन्य	-	-
ii. राजस्व व्यय		
- वेतन, मजदूरियां और भत्ते आदि	-	-
- किराया	-	-
- अन्य - यात्रा एवं अन्य व्यय	6,25,260	15,72,866
iii. अप्रयुक्त अनुदानों का प्रतिदाय / अंतर्लेखे का समायोजन	20,999	-
वर्ष के अंत में शुद्ध अतिशेष (क+ख+ग)	-	20,999
अनुसूची 6-ख में स्थानांतरित नामे शेष (निवल)	-	20,999
	-	-

अनुसूची 3- आस्थगित आय	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
	प्रारंभिक अतिशेष	15,55,42,281
जोड़े: अवक्षयीय नियत आस्तियां और चल रहे पूजी संकर्म के लिए उपयोजित अनुदान (निवल)	2,81,05,460	3,24,03,499
घटाइए: ऐसी आस्तियों पर प्रभारित अवक्षयण के बराबर रकम		
ऐसी परिसंपत्तियां आय एवं व्यय खाते में स्थानांतरित की जाती हैं	1,52,60,175	1,55,81,989
कल	16,83,87,566	15,55,42,281

हस्ता /-
लेखा सहायक

हस्ता /-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता /-
उप महानिदेशक

हस्ता /-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2020 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 4- वर्तमान देनदारियां और प्रावधान क. वर्तमान देनदारियां	चाल वर्ष		पिछला वर्ष	
	1) विविध लेनदार		8,387	
2) प्राप्त किया गया अग्रिम		21,380		54,682
3) सांविधिक देनदारियां क) अतिदेय ख) अन्य	2,11,256		5,08,648	
4) अन्य चाल दायित्व क) प्रतिभूति जमा ख) केन्द्र सरकार से प्राप्त अप्रयुक्त अनुदान (4.4 (ख) अनुसूची संदर्भ देखें) ग) देय वेतन एवं भत्ते घ) अन्य देनदारियां		2,11,256		5,08,648
	6,39,140		5,83,140	
	2,58,59,602		3,36,14,232	
	9,91,194		10,94,663	
	2,28,209		4,13,096	
		2,77,18,145		3,57,05,131
कुल (क)		2,79,59,168		4,03,61,296
ख. प्रावधान उपदान के लिए प्रावधान		86,77,260		89,69,293
कुल (ख)		86,77,260		89,69,293
कुल (क+ख)		3,66,36,428		4,93,30,589

अनुसूची 4.4 (ख) केन्द्रीय सरकार से अनुप्रयोजित अनुदान	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
आरंभिक अतिशेष	3,36,14,232	5,44,43,430
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान (सामान्य एवं वेतन)	15,00,00,000	11,87,00,000
घटाइए: केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदान का आय और व्यय लेखे में अंतरण	18,36,14,232	17,31,43,430
	12,96,49,170	10,71,25,699
घटाइए: अवक्षयणीय नियत परिसंपत्तियों और चल रहे पूंजी संकर्म के लिए उपयोजित (आस्थगित आय का अंतरण)	5,39,65,062	6,60,17,731
	2,81,05,460	3,24,03,499
उपयोग न किया गया अनुदान, जिसमें अग्रिम सम्मिलित है	2,58,59,602	3,36,14,232
कुल	2,58,59,602	3,36,14,232

हस्ता /-
लेखा सहायक

हस्ता /-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता /-
उप महानिदेशक

हस्ता /-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद
31 मार्च, 2020 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची 5 - अचल परिसंपत्ति

(राशि रुपए में)

विवरण	सकल ब्लाक				मूल्यहास				निवल ब्लाक	
	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत में लागत	वर्ष के आरंभ पर लागत	वर्ष के लिए	वर्ष के दौरान कटौतियां	वर्ष के अंत पर योग	चालू वर्ष के अंत में	पिछले वर्ष के अंत में
निजी निधि से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	28,65,530	-	-	28,65,530	20,28,788	41,837	-	20,70,625	7,94,905	8,36,742
2. फर्नीचर, फिक्सचर	1,88,400	-	-	1,88,400	1,81,142	1,089	-	1,82,231	6,169	7,258
3. पुस्तकालय पुस्तिकाएं एवं पत्रिकाएं	33,703	-	-	33,703	28,439	526	-	28,965	4,738	5,264
उप - जोड़(क)	30,87,633	-	-	30,87,633	22,38,369	43,452	-	22,81,821	8,05,812	8,49,264
केंद्र सरकार के अनुदान से बाहर अधिग्रहीत अचल परिसंपत्तियां										
1. भवन	6,71,00,576	4,68,800	-	6,75,69,376	1,77,16,612	24,86,543	-	2,02,03,155	4,73,66,221	4,93,83,964
2. फर्नीचर, फिक्सचर	4,48,74,125	12,61,059	-	4,61,35,184	2,96,02,560	24,15,830	-	3,20,18,390	1,41,16,794	1,52,71,565
3. कार्यालय उपस्कर	3,90,14,041	16,24,227	-	4,06,38,268	1,34,98,993	38,38,873	-	1,73,37,866	2,33,00,402	2,55,15,048
4. कंप्यूटर/उपसाधन	1,63,83,394	4,69,065	-	1,68,52,459	1,32,03,468	8,84,660	-	1,40,88,128	27,64,331	31,79,926
5. पुस्तकालय पुस्तक एवं पत्रिकाएं	4,84,69,753	18,04,447	-	5,02,74,200	1,99,08,053	28,97,567	-	2,28,05,620	2,74,68,580	2,85,61,700
6. पुस्तकालय आईटी अवसंरचना	1,57,45,614	2,30,100	-	1,59,75,714	1,30,49,510	7,02,789	-	1,37,52,299	22,23,415	26,96,104
7. विद्युत इंस्टालेशन	3,33,27,344	-	-	3,33,27,344	2,00,38,594	19,93,312	-	2,20,31,906	1,12,95,438	1,32,88,750
8. साइकिल एवं रिकशा	36,500	-	-	36,500	5,235	4,690	-	9,925	26,575	31,265
9. जल आपूर्ति प्रणाली	10,57,596	-	-	10,57,596	3,39,362	35,911	-	3,75,273	6,82,323	7,18,234
उप - जोड़ (ख)	26,60,08,943	58,57,698	-	27,18,66,641	12,73,62,387	1,52,60,175	-	14,26,22,562	12,92,44,079	13,86,46,556
चालू वर्ष का जोड़ (क+ख)	26,90,96,576	58,57,698	-	27,49,54,274	12,96,00,756	1,53,03,627	-	14,49,04,383	13,00,49,891	13,94,95,820
पिछला वर्ष	24,23,74,223	2,67,27,617	-	26,91,01,840	11,39,78,126	1,56,27,894	-	12,96,06,020	13,94,95,820	12,83,96,097
जारी पूंजीगत कार्य									3,91,43,487	1,68,95,725
कुल									16,91,93,378	15,63,91,545

हस्ता /-
लेखा सहायक

हस्ता /-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता /-
उप महानिदेशक

हस्ता /-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2020 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

अनुसूची 6 - चालू परिसंपत्तियां ऋण, अग्रिम आदि	चालू वर्ष		पिछला वर्ष	
क. चालू परिसंपत्तियां:				
1 फूटकर देनदार		-		-
2 कुल शेष राशि (चेक/ड्राफ्ट तथा अग्रदाय शामिल)		5,000		13,926
3 बैंक शेष				
अनुसूची बैंक साथ				
- चालू खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	3,43,24,989		2,23,12,330	
- जमा खाता (भारतीय स्टेट बैंक)	-		1,05,00,000	
- बचत खाता (भारतीय स्टेट बैंक)			-	
		3,43,24,989		3,28,12,330
जोड़ (क)		3,43,29,989		3,28,26,256
ख. ऋण, अग्रिम एवं अन्य परिसंपत्तियां				
1 अग्रिम एवं अन्य वसूली योग्य नकद धनराशि अथवा प्राप्त किया जाने वाला मूल्य				
क) पूंजीगत लेखे पर- सीपीडब्ल्यूडी		1,94,39,412		3,26,18,182
ख) पूर्व-भूगतान		6,67,527		16,75,641
ग) आयकर (टीडीएस) वसूली योग्य		-		-
घ) निर्धारित निधि लेखे पर		-		-
ड) अन्य		63,02,973		44,43,389
2 उपाजित आय				
क) जमा लेखे पर		-		5,79,376
जोड़ (ख)		2,64,09,912		3,93,16,588
जोड़ (क + ख)		6,07,39,901		7,21,42,844

हस्ता /-
लेखा सहायक

हस्ता /-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता /-
उप महानिदेशक

हस्ता /-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2020 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रूप में)

अनुसूची 7	सदस्यता फीस पुस्तकालय सदस्यता	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
		1,06,402	83,406
कुल		1,06,402	83,406

अनुसूची 8	रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि से आय रॉयल्टी	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
		4,56,674	5,57,537
कुल		4,56,674	5,57,537

अनुसूची - 9 अर्जित ब्याज	1) निर्धारित बैंक के साथ जमा शर्तों पर (भारतीय स्टेट बैंक) 2) निर्धारित बैंक के साथ बचत खाते पर (भारतीय स्टेट बैंक)	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
		-	11,96,187
कुल		-	9,848
		-	12,06,035

अनुसूची 10 अन्य आय	क) आस्थगित आय से अंतरित (देखिए अनुसूची 3) ख) लिखित देनदारी-छूट (प्रत्याभूत जमा- आडिटोरियम) ग) विविध आय	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
		1,52,60,175	1,55,81,989
कुल		7,49,141	1,28,141
		1,60,09,316	1,57,10,130

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता /-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता /-
उप महानिदेशक

हस्ता /-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2020 को यथा विद्यमान तुलन पत्र का भाग बनने वाली अनुसूचियां

(राशि रुपए में)

	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 11 - स्थापना व्यय		
क) वेतन और मजदूरियां	1,69,98,864	1,54,21,065
ख) बोनस	1,44,492	1,49,673
ग) कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि का अंशदान	6,28,359	11,38,141
घ) कर्मचारी कल्याण व्यय	96,032	55,000
ड.) प्रशासनिक और निरीक्षण प्रभार - आर.पी.एफ.सी.	91,189	61,745
च) कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तथा सेवांत लाभों (उपदान) पर किया जाने वाला व्यय	11,23,528	7,85,298
छ) चिकित्सा व्यय (निवल वसूली)	9,97,487	10,47,957
ज) कर्मचारी समूह बीमा	-	1,12,001
कुल	2,00,79,951	1,87,70,880

	चाल वर्ष	पिछला वर्ष
अनुसूची 12 - अन्य प्रशासनिक व्यय		
क) लेखापरीक्षा शुल्क	1,51,940	1,17,650
ख) सीएससीएपी - सामान्य व्यय	-	2,000
ग) विज्ञापन खर्च	2,25,221	63,821
घ) विद्युत एवं जल	57,63,008	59,30,642
ड.) सेमीनार/कार्यशाला पर व्यय	2,77,07,491	1,91,37,275
च) कार्यालय बीमा	89,786	72,806
छ) एनडीएमसी संपत्ति कर	30,48,836	30,48,819
ज) कार्यालय व्यय	32,80,203	8,83,148
झ) डाक, टेलीफोन और संचार प्रभार	6,92,637	7,70,871
ञ) मुद्रण और लेखन सामग्री	7,77,281	12,65,512
ट) वृत्तिक एवं अन्य मानव शक्ति प्रभार	3,53,79,949	2,80,17,816
ठ) रख-रखाव एवं मरम्मत	1,61,38,893	1,62,04,076
ड) सुरक्षा व्यय	26,48,403	23,73,466
ढ) यात्रा एवं वाहन व्यय	72,51,002	31,97,147
ण) अन्य व्यय	1,07,420	4,17,419
त) समाचारपत्र, पुस्तक और पत्रिकाएं	3,35,917	3,10,461
थ) ग्राहकी एवं सदस्यता शुल्क	5,15,103	5,50,059
द) वेबसाइट व्यय	5,35,446	4,55,626
ध) पूर्व अवधि व्यय	-	3,81,954
कुल	10,46,48,536	8,32,00,568

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता /-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता /-
उप महानिदेशक

हस्ता /-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 13 महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण अभिसमय

जब तक कि अन्यथा कथित न हो, लेखाओं की ऐतिहासिक लागत अभिसमय के आधार पर और साधारणतया लेखाकार की प्रोद्भवन पद्धति पर तैयार किया गया है सिवाय सीएससीएपी अनुदान और उपयोग के संबंध में जोकि नकद आधार पर उपयोग किया जाता है।

2. अचल संपत्तियां और मूल्यहास

- 2.1 अचल परिसंपत्तियों का निर्धारण अधिग्रहण की लागत पर किया जाता है, जिनके अंतर्गत अर्जन के संबंध में अनुषंगी और प्रत्यक्ष व्यय सम्मिलित हैं।
- 2.2 नियत आस्तियों का मूल्यांकन लागत पर, उसमें से एकत्रित मूल्यहास को घटाकर किया गया है। नियत आस्तियों पर मूल्यहास, प्रबंधन द्वारा अंगीकार किए गए, अनुसार समुचित दरों पर अपलिखित मूल्य पद्धति के आधार पर किया गया है:

भवन	5%
पुस्तकालय पुस्तकें और पत्रिकाएं	10%
फर्नीचर और फिक्स्चर	15%
कार्यालय उपस्कर	15%
कम्प्यूटर/पेरिफेरल	25%
विद्युत अधिष्ठापन	15%
साइकिलें	15%
जल आपूर्ति प्रणाली	5%

रिपोर्ट के अधीन वर्ष में 1 अक्टूबर को या उसके पश्चात क्रय की गई आस्तियों का उपरोक्त कथित दरों से 50% का अवक्षयण कर लिया गया है।

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

3. राजस्व मान्यता

- 3.1 विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्राप्त अनुदानों/अंशदानों को प्रारंभ में दायित्व के रूप में माना गया है और उन्हें वर्ष के दौरान उपयोग के अनुसार पूंजी या राजस्व व्ययों के लिए समायोजित किया गया है।
- 3.2 अवक्षयी आस्तियों के लिए उपयोग की गई सीमा तक अनुदानों को आस्थगित आय के रूप में माना जाता है और उसे प्रणालीबद्ध तथा सुसंगत आधार पर आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।
- 3.3 साधारणतया, राजस्व व्यय के लिए उपयोजित अनुदानों को वर्ष के दौरान आय माना गया है।

4. विदेशी मुद्रा में लेनदेन

लेन देन की तिथि को जारी विदेशी मुद्रा में वर्णित लेनदेन की गणना विदेश मंत्रालय के विनिमय की अधिकृत दर (ओआरई) पर की गई है।

5. सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ

भविष्य निधि में कर्मचारियों और नियोक्ता के अंशदान को ईपीएफओ को अंतरित किया जाता है।

उपदान के लिए प्रावधान की संगणना इस उपधारणा पर की जाती है कि उपदान सभी कर्मचारियों को लेखाकरण वर्ष की समाप्ति पर देय है। उपदान की ऐसी रकम को राजस्व में प्रभारित किया जाता है।

स्थान: नई दिल्ली

तारीख : 17/06/2020

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

विश्व मामलों की भारतीय परिषद

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखाओं का भाग बनने वाली अनुसूचियां

अनुसूची: 14 आकस्मिक देनदारियां और लेखाओं पर टिप्पण

1. आकस्मिक देनदारियां:

क. श्री एच.एस. चड्ढा, एसी संयंत्र प्रचालक नामक कर्मचारी की सेवाएं प्रबंधन द्वारा 01 अप्रैल, 1995 से 26 सितंबर, 2001 के दौरान समाप्त कर दी गई थीं। उन्होंने सेवा समाप्ति के विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया था और निचली अदालत ने आईसीडब्ल्यू को कर्मचारी को पिछली पूरी अवधि का पारिश्रमिक देने का निदेश देते हुए आदेश पारित किया। आईसीडब्ल्यू द्वारा निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किए जाने के कारण 2.00 लाख रुपए की देनदारी का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आईसीडब्ल्यू ने न्यायालय के पास 1,01,205/- रुपए जमा करा दिए हैं, जिन्हें तुलन पत्र में अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

ख. आईसीडब्ल्यू के विरुद्ध अन्य न्यायालयी मामलों के संबंध में देनदारियां, यदि कोई हैं - शून्य

2. पूंजी प्रतिबद्धताएं: अग्रिम निवल - शून्य

3. विश्व मामलों की भारतीय परिषद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है, विश्व मामलों की भारतीय परिषद को एक गैर-लाभकारी संस्था के रूप में 1943 में स्थापित किया गया था। विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय ने भारतीय विश्व कार्य संबंधी परिषद अध्यादेश, 2000 (2000 का 3) जारी किया था, जिसके द्वारा परिषद के प्रबंधन को भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया था। इस अध्यादेश को अधिनियम, 2001 (2001 की अधिनियम संख्या 29) के अधिनियम द्वारा और विनियमित किया गया था। वर्तमान में परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से मिलने वाले अनुदानों द्वारा वित्तपोषित है।

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

4. सीएससीएपी-भारत और विश्व में विविध सीएससीएपी की बैठक आयोजित करने के लिए परिषद विदेश मंत्रालय से सीएससीएपी अनुदान प्राप्त करती है। परिषद केवल अनुदान के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है अर्थात अनुदान को प्राप्त करना तथा उसका प्रत्येक अनुदान के लिए विशिष्ट मंजूरियाँ हेतु उसका उपयोग करना। परिषद का दृष्टिकोण है कि सीएससीएपी लेनदेन परिषद के अतिशेष / कमी से प्रभावित नहीं होगा और तदनुसार नकद आधारित लेखाविधि के लिए जिम्मेवार होगा।
5. जहां कहीं भी आवश्यक था, पूर्व वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध या पुनः व्यवस्थित किया गया है ताकि वह चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप हो सके।
6. अंतिम लेखों में अंकों को निकटतम पूर्ण रुपयों में लिखा गया है।
7. अचल परिसंपत्तियों में पूर्ण विवरण दिए गए हैं, जिसमें सरकार द्वारा अधिकार में लिए जाने से पहले पूर्व प्रबंधन द्वारा सुरक्षित रखी गई सभी अचल परिसंपत्तियों का मात्रात्मक विवरण एवं अवस्थिति शामिल है, उपलब्ध नहीं है। अभिलेखों और साथ ही भौतिक सत्यापन संबंधी किसी रिपोर्ट की अनुपस्थिति में, वर्तमान प्रबंधन नियत आस्तियों के संबंध में लेखा बहियों में किन्हीं विसंगतियों, यदि कोई हों, के संबंध में कार्यवाही नहीं कर सकता था।
8. उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार वर्तमान प्रबंधन के पास लीज रेंट की कोई देनदारी नहीं है। यदि भूमि की लागत भवन की लागत (व्यक्तिगत निधि) का एक भाग है तो क्या भवन पर प्रभारित मूल्यहास सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के विपरीत होगा।

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 17/06/2020

हस्ता/-
लेखा सहायक

हस्ता/-
वरिष्ठ लेखा अधिकारी

हस्ता/-
उप महानिदेशक

हस्ता/-
महानिदेशक

**31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए विश्व मामलों की भारतीय परिषद के लेखे पर
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की अंतिम पृथक रिपोर्ट प्रारूप**

हमने 31 मार्च, 2020 के अनुसार विश्व मामलों की भारतीय परिषद के संलग्न तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखा की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 जिसे विश्व मामलों की भारतीय परिषद (संशोधन) अधिनियम 2003 की धारा 20 (2) पढ़ा जाता है, की है। इन वित्तीय विवरणों की जवाबदेही विश्व मामलों की भारतीय परिषद की है। हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय ब्यौरों पर विचारों की अभिव्यक्ति करना है।

2. इस पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में सिर्फ लेखा उपचार पर वर्गीकरण, बेहतर लेखा अभ्यास की संपुष्टि, लेखा मानक एवं प्रकटन मानक आदि के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियां शामिल हैं। विधि, नियम एवं विनियम (स्वामित्व एवं नियमितता) तथा दक्षता सह प्रदर्शन पहलू आदि के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेनदेन पर लेखापरीक्षा पर्यवेक्षण यदि कोई हो, तो उसे निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी की रिपोर्ट के माध्यम से पृथक रूप से रिपोर्ट किया जाता है।

3. भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखापरीक्षा मानक के अनुसार लेखापरीक्षा की गई है। इन मानकों को अपेक्षा होती कि हम जो लेखापरीक्षा करते हैं उनके वित्तीय विवरण में मटीरियल संबंधी मिथ्या विवरण न होने के संबंध में समुचित आश्वासन प्राप्त हों। लेखापरीक्षा में जांच आधार पर परीक्षण, वित्तीय विवरण में राशियों एवं प्रकटन की पुष्टि करने वाले साक्ष्य शामिल होते हैं। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धांत का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण अनुमान तथा वित्तीय विवरणों के सभी प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा मानना है कि हमारी लेखापरीक्षा हमारे अभिमत को समुचित आधार प्रदान करता है।

4. हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम रिपोर्ट करते हैं कि :

i. जहां तक हमें पता है और विश्वास है हमने लेखापरीक्षा के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्राप्त कर ली हैं;

ii. इस रिपोर्ट के साथ पेश किए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा/प्राप्ति एवं भुगतान लेखे के प्रारूप को लेखा, महानियंत्रक, विदेश मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है।

iii. पुस्तक का परीक्षण करने से ऐसा प्रतीत होता है कि अधिनियम, 2003 की धारा 20 (1) की आवश्यकतानुसार लेखा की समुचित पुस्तकें एवं अन्य प्रासंगिक रिकार्ड विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा तैयार की गई हैं।

iv. आगे हम रिपोर्ट करते हैं कि:

अ. सामान्य

अ.1 परिषद द्वारा ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण का प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर नहीं किया है। बीमांकिक मूल्यांकन आधार के अभाव में रु.86.77 लाख की ग्रेच्युटी की राशि के प्रावधान की पर्याप्तता का ऑडिट में आकलन नहीं किया जा सका।

अ.2 खातों के एक समान प्रारूप का पालन नहीं करना

वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित खातों के एक समान प्रारूप के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 में निर्दिष्ट दरों के अनुसार मूल्यहास विधि पर मूल्यहास प्रदान किया जाना है हालाँकि परिषद् ने 'मूल्यहास' दर को अपनाया है जो आयकर अधिनियम, 1961 द्वारा निर्धारित दरों से भिन्न है जिन्हें सुधारा जाना आवश्यक है।

ब. सहायता अनुदान

विश्व मामलों की भारतीय परिषद को मुख्य रूप से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से वित्तीय सहायता अनुदान मिलता है। वर्ष 2019-20 के दौरान परिषद के पास रु.3.36 करोड़ रुपए पूर्व वर्ष की अपव्ययित अथशेष राशि थी तथा परिषद को वर्ष 2019-20 में गैर योजना के तहत रु.15.00 करोड़ रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ। इस प्रकार रु.19.36 करोड़ रुपये के कुल फंड में से ICWA रु.15.78 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग कर सकता था जिससे दिनांक 31.3.2020 को अनुपयोगी अनुदान के रूप में रु.2.58 करोड़ की शेष राशि बचती।

स. प्रबंधन पत्र

जिन कमियों को लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है उनके निदान/सुधार हेतु प्रबंधन के माध्यम से अलग से एक पत्र जारी कर परिषद के संज्ञान में लाया गया है।

v) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में की गई अपनी टिप्पणी के संबंध में, हम रिपोर्ट करते हैं कि इस रिपोर्ट में उल्लिखित तुलन पत्र एवं आय तथा व्यय लेखे की लेखा बही से सहमति है।

vi) हमारी राय में तथा हमें दी गई सर्वोत्तम जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीतियों एवं एकाउंट नोट के साथ पढ़ लिया गया है, बशर्ते इस लेखापरीक्षा के अनुबंध-1 में उल्लिखित ऊपर उद्धृत महत्वपूर्ण विषय एवं अन्य विषयवस्तु भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों की समनुरूपता का सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हों।

क. जहां तक कि 31 मार्च, 2020 तक की विश्व मामलों की भारतीय परिषद के राज्य मामलों के तुलन पत्र का संबंध है, और

ख. जहां तक कि 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के आय एवं व्यय लेखे के अधिशेष का संबंध है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए एवं की ओर से

हस्ता./-

अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक (केंद्रीय व्यय)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 18.2.2021

विश्व मामलों की भारतीय परिषद की वर्ष 2019-20 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट:

1. आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली :

वर्ष 2019-20 अवधि की लेखापरीक्षा नहीं की गई है। प्रधान, मुख्य नियंत्रक लेखा, विदेश मंत्रालय द्वारा वर्ष 01/04/2016 से 31/03/2019 की अवधि के लिए परिषद की आंतरिक लेखापरीक्षा की गई।

2. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की प्रचुरता :

नियंत्रण वातावरण

ड्यूटी की कोई पृथक्ता नहीं थी, बिल बनाने एवं नकद वितरण का कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किया जा रहा था और कोई जॉब रोटेशन भी नहीं थी।

3. अचल आस्तियों की भौतिक सत्यापन प्रणाली :

अचल आस्तियों का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	संपत्ति पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	कार्यालय उपकरण, फर्नीचर एवं फिक्सचर, भवन, इलेक्ट्रिक इंस्टालेशन, साइकल एवं रिकशा तथा जल आपूर्ति प्रणाली (केवल अनुदान से)	18/08/2020
2.	पुस्तकालय की किताबें एवं पत्रिकाएं	11/12/2012 (पुस्तकों के नए सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है)
3.	कंप्यूटर/पेरिफेरल्स, पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना	18/07/2020

4. वस्तु सूची की भौतिक सत्यापन प्रणाली

वस्तु सूची का भौतिक सत्यापन निम्नानुसार किया गया है :

क्र.सं.	स्टॉक/सूची पंजिका	भौतिक सत्यापन की तिथि
1.	सफाई सामग्री एवं अनुरक्षण/अनुभाग उपभोज्य	10/07/2020
2.	आई टी उपभोज्य एवं अन्य संबंधित सामग्री	10/07/2020
3.	लेखन सामग्री	22/07/2020

5. सांविधिक देनदारियों के भुगतान में नियमितता

31/03/2020 को रु-2,11,256/- की वैधानिक देनदारियाँ बकाया थीं.

हस्ता./-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (ईए)

नोट: प्रस्तुत प्रतिवेदन मूल रूप में अंग्रेजी में लिखित पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का हिन्दी अनुवाद है। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होगी, तो अंग्रेजी में लिखित प्रतिवेदन मान्य होगा।